प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति "State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की दिनांकः 06.12.2018(बृहस्पतिवार) को सम्पन्न 12वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति –संलग्न

3786
21/12/18

सचिव द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी गयी। तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यवाही पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया ।

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न वर्णित निर्णय लिए गए :–

प्रस्ताव सं० 1

(क) गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

(ख) गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर समिति के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया **(परिशिष्ट क)**

प्रस्ताव सं० 2 – PMAY (U) योजना के तृतीय घटक– **"भागीदारी में किफायती आवास"** (AHP) के तहत माह मार्च 2018 में केन्द्रांश राशि कुल 209.25 करोड़ रू0 एवं राज्यांश राशि कुल 69.31 करोड़ रू0 यानि कुल 278.56 करोड़ रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ। उक्त तृतीय घटक में कुल आवंटित राशि 278.56 करोड रू0 को आवश्यकतानुसार योजना के चतुर्थ घटक– **"लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण"** (BLC) के तहत उपयोग करने के लिए भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने पर अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव सं० 3 – PMAY (U) योजना के तृतीय घटक (AHP) के तहत राज्य के शहरी निकायों में **G+3** संरचना में आवास निर्माण पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। समिति को अवगत कराया गया कि बड़े शहरों में काफी प्रयास के बाद भी योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार भूमि उचित मात्रा में चिन्हित नहीं की जा सकी है। अतः बड़े शहरों में भूमि की कमी एवं Urbanization के स्वरूप के आलोक में निर्णय लिया गया कि भूखण्ड की Location एवं आस–पास के भवनों की संरचना के आलोक में योजनान्तर्गत **G+3** से **G+8** तक की संरचना में आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा।

प्रस्ताव सं० 4– चतुर्थ घटक (BLC) की योजनाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु नामित तृतीय पक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) के प्रतिवेदन के विरूद्ध तैयार Action Taken Report का अनुमोदन।

मिशन के चतुर्थ घटक– BLC की योजनाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) के रूप में जुडको लि०, राँची को नामित किया गया है। योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षो में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि की प्राप्ति हेतु त्रिपक्षीय गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी (TPQMA) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तैयार Action Taken Report (ATR) पर चर्चा की गई। योजनावार किस्त प्राप्ति विवरणी निम्नवत् है :–

Scanned by CamScanner

क्र० सं०	CSMC No/तिथि	वित्तीय वर्ष/फेज़	नगर निकायों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या	ATR के अनुरूप किस्त प्राप्ति हेतु अनुरोध
1.	4वीं/21.12.2015	2015–16	38	7,739	तृतीय किस्त
2.	12वीं/21.08.2016	2016–17 (1)	33	19933	तृतीय किस्त
3.	14वीं/27.10.2016	2016–17 (2)	36	12814	द्वितीय किस्त
4.	20वीं/21.03.2017 एवं 21वीं 25.03.2017	2017–18 (1)	37	20430	द्वितीय किस्त
5.	22वीं/29.05.2017	2017–18 (2)	36	16772	द्वितीय किस्त
6.	25वीं/23.09.2017	2017–18 (3)	36	13553	द्वितीय किस्त
7.	29वीं/27.12.2017	2017–18 (4)	24	10408	द्वितीय किस्त

योजनान्तर्गत विभिन्न चरणों में स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध जुडको लि० द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर तैयार Action Taken Report (ATR) पर समिति का अनुमोदन दिया गया । (ATR प्रतिवेदन संलग्न)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

(सुधीर त्रिपाठी)
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– 07/न०प्र०नि०/PMAY(HFA)/01/2015 3786 रॉंची/दिनांकः 21/12/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/18

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner